संख्या– 30/2019/506/छप्पन-2019-68/2017

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2019

विषय: उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के अनुसार आर0सी0एस0 वायु सेवा के लिए RNFC बिल के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 652/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 25 फरवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मेसर्स जेट एयरवेज (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा आर0सी0एस0 वायुसेवा के लिए RNFC के मद में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान की गयी धनराशि के 50 प्रतिशत RNFC की प्रतिपूर्ति उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के प्राविधानों के अनुसार किए जाने हेतु रू0 63,798/- (रूपया तिरसठ हजार सात सौ अट्ठानबे मात्र) का भुगतान किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति (Version 2.0) में आर0सी0एस0 उड़ान सेवाओं के लिए Route Navigation and Facilitation Charges के सम्बन्ध में बिन्दु 8.5.2.7 के प्राविधान के अनुसार श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आर0सी0एस0 सकीम के अन्तर्गत मेसर्स जेट एयरवेज (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा दिनांक 01.12.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक लखनऊ-इलाहाबाद-पटना-इलाहाबाद-लखनऊ रूट तथा नागपुर-इलाहाबाद-इन्दौर-इलाहाबाद-नागपुर रूट पर संचालित आर0सी0एस0 वायुसेवा के लिए RNFC के मद में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान की गयी धनराशि के 50 प्रतिशत अंश रू0 63,798/- (रूपया तिरसठ हजार सात सौ अट्ठानबे मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 63,798/- (रूपया तिरसठ हजार सात सौ अट्ठानबे मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक ''3053-नागर विमानन-01 हवाई सेवाए-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42 अन्य व्यय'' के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0: 30/2019/506(1)/छप्पन-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार ई0एस0 ।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।